

38

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

पत्रांक 3640

/वाद संख्या सी-0759/एस-4/2022

दिनांक 04/09/23

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून ।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री बलजीत सिंह कोचर, एवं विशाल पूटेला आदि, वाणी बिहार भगत सिंह कालोनी देहरादून के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 35 बीघा में अवैध प्लॉटिंग का कार्य करने के कारण वाद संख्या सी-0759/एस-4/2022 योजित किया गया जिसमें सुनवाई उपरान्त दिनांक 22-8-2022 को ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये हैं । अतः उक्त अवैध निर्माण को दिनांक 11-9-2023 को ध्वस्त किया जाना है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तिथि को ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को प्रयाप्त पुलिस बल दिनांक 11-9-2023 को (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें ।

भवदीय,

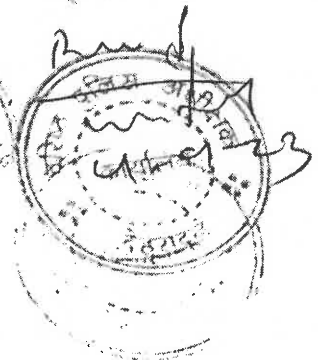
सचिव,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

प्रतिनिधि:-

- 1-जिलाधिकारी महोदय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त तिथि को उक्त कार्य शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें ।
- 2-पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून को इस आशय से कि उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुए प्रयाप्त पुलिस बिल(महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- 3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 4-प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता एम0डी0डी0ए0 को अनुपालनार्थ ।
- 5-समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर /इलेक्ट्रीशियन को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें ।
- 6-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को एक बुलडोजर एवं एक वाहन तथा ध्वस्तीकरण से सम्बन्धित समस्त सामग्री सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

4-4-23



S. M. J.

4/9/23

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।

4/9/23



4/9/23